संख्या-21/2025/68/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 09 अप्रैल, 2025**

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49/81/83 के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-02/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2025-26, दिनांक 03.04.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49/81/83 के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 407320.00 लाख (रुपये चालीस अरब तिहत्तर करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु **रू0 203660.00 लाख (रुपये बीस अरब छत्तीस करोड़ साठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के उपयोग में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग GFR व समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये स्थानान्तरित की जायेगी।

12) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

(13) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय लोकहित में है और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021031501 (जिला योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021031501 जिला योजना	63 सामाजिक पेंशन	14,90,00,00,000 (रुपये चौदह अरब नब्बे करोड़ मात्र)
	कुल			**14,90,00,00,000 (रुपये चौदह अरब नब्बे करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235027890600 (निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2235027890600 निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान	63 सामाजिक पेंशन	5,36,61,00,000 (रुपये पाँच अरब छत्तीस करोड़ इकसठ लाख मात्र)
	कुल			**5,36,61,00,000 (रुपये पाँच अरब छत्तीस करोड़ इकसठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235027960300 (निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2235027960300 निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान	63 सामाजिक पेंशन	9,99,00,000 (रुपये नौ करोड़ निन्यानबे लाख मात्र)
	कुल			9,99,00,000 (रुपये नौ करोड़ निन्यानबे लाख मात्र)
				20,36,60,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

महायोग	(रुपये बीस अरब छत्तीस करोड़ साठ लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-21/2025/68(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।